

107/2017

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

नम्बर व तारीख
अदकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हु

21/11/20

~~पत्रावली भेस हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। निप्रार्थी~~
 अनुपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर
 मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न
 दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि
 मूलवाद में खातोदारी अधिकारों की धोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
 जारी करवाने का मुख्य अनुतोष चाहा गया है, जो कि मूलवाद में
 साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगी कि वादीगण/प्रार्थीगण
 राहत प्राप्त करने के अधिकारी है अथवा नहीं। लेकिन हस्तगत
 प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किए जाने का ऐसा कोई औचित्य
 पूर्ण कारण सामने नहीं आया है। जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि
 स्थगन आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो। उपरोक्त विवेचन
 के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम
 द्विष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही
 बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनते है।
 लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान
 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित नहीं होने के कारण
 खारिज किया जाता है।
 पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर
 हो।

सहायक क्लर्क
(S.D.O.) बालोतरा

21/11/20